



Indian-Non Judicial Stamp Haryana Government



Date : 14/12/2018

Certificate No. ICN2018L2

GRN No. 42592905

Stamp Duty Paid : ₹ 300
(Rs. Only)

Penalty : ₹ 0

(Rs. Zero Only)

Seller / First Party Detail

Name: Jagir singh

H.No/Floor: No

Sector/Ward: No

LandMark: No

City/Village: Shampur

District: Yamunanagar

State: Haryana

Phone: 9467471311



Buyer / Second Party Detail

Name: Dimpal

H.No/Floor: No

Sector/Ward: No

LandMark: No

City/Village: Chachrouli

District: Yamunanagar

State: Haryana

Phone: 9467471311

Purpose: for Leasedeed stamp use in sub teh sadhaura

3235
14/12/18

10:17

The authenticity of this document can be verified by scanning this QR Code Through the official website <https://regashry.nic.in>

व कार्यालय रिकार्ड का मैंने अच्छी तरह
अवलोकन कर लिया है। वसुधैव कुटुम्बकम्
किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है।

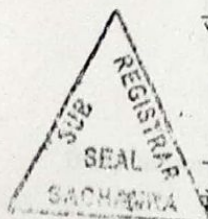
रजिस्ट्री क्लर्क मादौरा

पटानामा अराजी तदादी रकबा 19 मरले वाका गांव सादौरा हिसार जिला 155 सब
तहसील सादौरा जिला यमुनानगर

बदले मु0 5,000/रुपये पांच हजार प्रति सालाना बिलमुकता
रुबरु सब राजि0 जी कुछ नहीं

अस्टाम मु0 300/रु

बराये अरसा बीस साल दिनांक 17/12/2018 से 16/12/2038 तक



से कि जगीर सिंह पुत्र श्री तूलसी राम पिसर श्री नत्थू निवासी गांव शामपुर तहसील
बिलासपुर जिला यमुनानगर का स्थाई निवासी हू - प्रथम पक्ष (मालिक भूमी)

श्रीमति डिम्पल पत्नी श्री सुरज सैनी पुत्र श्री नरेश कुमार निवासी नजदीक सरस्वती
हाई स्कूल छछरौली तहसील छछरौली जिला यमुनानगर- द्वितीय पक्ष(चकोतेदार)

बाकी पेज 2 पर

प्रथम पक्ष

द्वितीय पक्ष

Bhisham Kumar Chugh
Deed Writer
Licence No. 2,
Sub Tehsil Sadhaura (YNR)

Drafted By: भीष्म कुमार चुघ

Service Charge: 200.00 रुपये

यह प्रलेख आज दिनांक 17/12/2018 दिन सोमवार समय 12:07:54PM बजे श्री/श्रीमती/कुमारी जगीर सिंह पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री/श्रीमती/कुमारी तुलसी राम निवासी शामपुर द्वारा पंजीकरण हेतु प्रस्तुत किया गया।

हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता

जगीर सिंह

उप/सयुक्त पंजीयन अधिकारी
सढौरा

श्री जगीर सिंह

उपरोक्त पट्टा देने वाला व श्री/श्रीमती/कुमारी डिम्पल पट्टा लेने वाला हाजिर है। प्रस्तुत प्रलेख के तथ्यों को दोनों पक्षों ने सुनकर तथा समझकर स्वीकार किया। दोनों पक्षों की पहचान श्री/श्रीमती/कुमारी लाजपत राय नम्बरदार पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री निवासी टिबडी व श्री/श्रीमती/कुमारी गुरपाल सिंह पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री/श्रीमती/कुमारी बालक राम निवासी शामपुर ने की। साक्षी न: 1 को हम नम्बरदार/अधिवक्ता के रूप में जानते हैं तथा वह साक्षी न: 2 की पहचान करता है।

दिनांक 17/12/2018

उप/सयुक्त पंजीयन अधिकारी
सढौरा

यह प्रमाणित किया जाता है कि पंजीकृत वसीका की स्कैन प्रति jamabandi.nic.in पर डाल दी गई है।

उप/सयुक्त पंजीयन अधिकारी
सढौरा

Revenue Department Haryana

HARIS -EX

NIC-HSU

जगीर सिंह का आधार कार्ड न० - 3891 1347 1542

डिम्पल का आधार कार्ड न०- 8329 0471 9272

/2/

जो कि रकबा खेवट/खतोनी न० 1835/2041 खसरा न० 47//18/2/2 तदादी रकबा 1 कनाल 9 मरले का 1/3 भाग बकदर 9 मरले 6 सरसाई, खसरा न० 47//23/1/2/1 तदादी रकबा 4 कनाल 7 मरले का 19/174 भाग बकदर 9 मरले 4 सरसाई वाका गांव साढौरा हदबस्त न० 155 सब तहसील साढौरा जिला यमुनानगर मुताबिक फर्द जमाबन्दी साल 2010-11 के उक्त रकबा जिसकी पैमाइशी वा चौहाता पूर्व में बकाया रकबा पटा कर्ता भुजा 70 फुट, पश्चिम में बकाया रकबा पटा कर्ता भुजा 70फुट, उत्तर में रोड भुजा 70 फुट, दक्षिण में अन्य मालिक भुजा 70फुट है उक्त रकबा हम प्रथम पक्ष की मलकियती बिना बार भार है रकबा बाला पर किसी प्रकार का कोई कोर्ट केंस या स्टे आदि ना है प्रथम पक्ष को उक्त रकबा को चकोता पर देने के पूर्ण अधिकार प्राप्त है उक्त रकबा प्रथम पक्ष ने बमय हक हकूक मालकाना हक दाखली खारजी रास्ता जात निकास हवा पानी बगैरा वा अन्य जो भी हक हम प्रथम पक्ष को रकबा पर बतोर मालिक हासिल है को बदले मु० 5,000/रुपये पांच हजार प्रति सालाना बिलमुकता के हिसाब से अरसा बीस साल दिनांक 17/12/2018 से 16/12/2038 तक के लिये द्वितिय पक्ष को पटा पर दे दिया है कब्जा मौका पर द्वितिय पक्ष के हवाले कर दिया है जिस प्रकार से चाहे रकबा बाला को द्वितिय पक्ष किसी भी कार्य में प्रयोग में लावे पटा की राशि प्रति वर्ष के हिसाब में मु० 5000/रुपये पांच हजार प्रथम पक्ष द्वितिय पक्ष से वसूल करने की हकदार रहेगी हर माह पटा राशि अदा करने का द्वितिय पक्ष पाबन्द रहेगी उक्त रकबा में द्वितिय पक्ष पैट्रोल पम्प लगवाने के लिये किसी भी प्रकार से चाहे निर्माण कार्य करे, बिजली कनेक्शन, पानी कनेक्शन, लेवे मशीनरी लगावे, उक्त रकबा को किसी विशेष कार्य के लिये सब चकोता/किराया पर पैट्रोल पम्प के लिये कम्पनी को देवे सब चकोता/किरायानामा रजिस्टर्ड करावे उक्त रकबा पर कारोबार के लिये किसी बैंक या ऋण संस्था के पास आड रहन करे उक्त रकबा के चकोतानामा की मियाद समाप्त होने पर दोनो फरीकें अपनी इच्छा से चकोतानामा की मियाद नई शर्तों के साथ बढ़ा सकेंगे और अगर किसी कारन वश कम्पनी द्वारा पैट्रोल पम्प अलाट नहीं किया जाता बाकी पेज प्रथम पक्ष द्वितिय पक्ष

जगीर सिंह

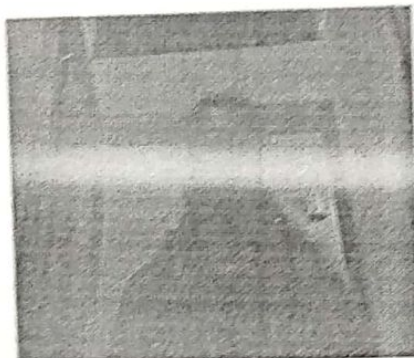
डिम्पल

Bhishan Kumar Gough
Joint Officer
District No. 2,
Dist. Tehsil Saharwa, J.M.H.



पट्टा देने वाला

जगदीश



पट्टा लेने वाला

Jagdish



गवाह



ठप / सर्वेक्षक पैजियन अधिकारी

पट्टा देने वाला	जगदीश		जगदीश
पट्टा लेने वाला	हिम्मत		Himmat
गवाह	लालचत राय नम्बरदार		Li
गवाह	गुरपाल सिंह		Gurpal

/3/

है तो दोनों पक्ष पटानामा कैंसल कराने के पाबन्द रहेंगे प्रलेख पटानामा लिखकर पढ़कर सुनाया सुन वा समझ कर ठीक होना माना दुरुस्त है लेखक भीष्म कुमार वसीका नवीस सादौरा लेख न० 1284 लेख तिथि 17/12/2018

गवाह न० 1

प्रथम पक्ष

नवापराह न० 1284
1284
1284

श्री जगीर सिंह

जगीर सिंह

गवाह न० 2

द्वितीय पक्ष की तरफ से

अरपत सिंह स. अलम
राम सिंह शायल
अरपत सिंह

श्रीमति डिम्पल

डिम्पल

मि. 1284

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि यह प्रलेख क्रमांक 1,019 आज दिनांक 17/12/2018 को बही न: 1 जिल्द न: 57 के पृष्ठ न: 118 पर पंजीकृत किया गया तथा इसकी एक प्रति अतिरिक्त बही सख्या 1 जिल्द न: 955 के पृष्ठ सख्या 25 से 26 पर चिपकाई गयी। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि इस दस्तावेज के प्रस्तुतकर्ता और गवाहों ने अपने हस्ताक्षर/निशान अंगुठा मेरे सामने किये है ।

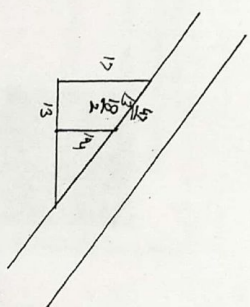
दिनांक 17/12/2018

उप/संयुक्त पंजीयन अधिकारी
सदौरा

गोवा प्रोटेक्शन बोर्ड के अधीन गोवा प्रोटेक्शन बोर्ड 155 एडमिशन नियमों के तहत प्रमाणित
(गोवा) 1989-90

प्रमाणित करने वाले को
प्रमाणित करने वाले को

प्रमाणित करने वाले को
प्रमाणित करने वाले को



प्रमाणित करने वाले को
प्रमाणित करने वाले को

2-3-2019